(12)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 04/2025

स्टेट जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन।

—प्रार्थी

बनाम

श्री मुकेश कुमार साजनराम भिडासरा निवासी वार्ड नं. 09, 3 डीडब्ल्यूएम. पुलिस थाना रावतसर।

—अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 श्री चन्द्रभान भाटिया अभिभाषक अप्रार्थी।

—ःनिर्णयः—

दिनांकः—25.09.2025

माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं. 01, हनुमानगढ़ द्वारा दाण्डिक अपील सं. 14/2025 अनवानी मुकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य में निर्णय दिनांक 14.08.2025 से अपील अपीलार्थी स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.2024 को अपास्त फरमाया गया। इस न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभय पक्षों को सुनकर आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर नवीन निर्णय पारित किया जावे। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन द्वारा दिनांक 28.03.2023 को दौराने नाकाबंदी संगरिया की तरफ से एक बोलेरो पिकअप गाडी नं. RJ-49-GA-5279 आती दिखाई दी जिसे रूकवाकर सडक किनारे साईड में खड़ा करवाया। बोलेरो पिकअप गाड़ी पर केवल चालक है। चालक का नाम पता पुछा तो चालक ने अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र साजनराम भिडासरा उम्र 30 साल निवासी वार्ड न0 09, 3 डीडब्ल्यूएम पुलिस थाना रावतसर होना बताया जिसको सूचना मुखबीर से अवगत कराया गया। बोलेरो पिकअप का निरीक्षण किया गया तो बोलेरो पिकअप बरंग सफेद है जिसके चैसिस न० MA1ZN2TNKN1J87689 व इंजन नं. TNN1J97729 है, पिकअप डाला में 11 ड्रम व 4 जरिकेन रखे है जिनके ढक्कन खोलकर देखा तो सभी ड्रमों व जरिकनों में डीजल भरा हुआ मिला। ड्रमों व जरिकनों में भरे डीजल की मात्रा को गेज से मापा गया तो सभी 11 ड्रमों में प्रत्येक में 210 लीटर डीजल भरा मिला व 4 जरिकनों में जिनमें प्रत्येक में 60 लीटर डीजल भरा हुआ है। इस प्रकार 11 ड्रमों व 4 जरिकनों में कुल 2550 लीटर डीजल भरा हुआ मिला। शक्स मुकेश कुमार को इतनी अधिक मात्रा मे डीजल अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत् लाईसैस / परमिट पुछा तो नहीं होना बताया। शक्स मुकेश कुमार द्वारा इतनी मात्रा में बिना लाईसैस / परमिट के डीजल को अपने कब्जे में रखना व परिवहन करना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित दफा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि पुलिस द्वारा जब्तशुदा वाहन महेन्द्रा बोलेरों पिकअप RJ-49-GA-5279 को डीजल से भरे हुए ड्रमों को जब्त किया गया था। पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में बताया गया है कि अप्रार्थी राजस्थान राज्य से बाहर जाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल खरीद कर लाया था, जिससे राज्य सरकार द्वारा तय किये गये आदेश नियमों की अवहेलना हुई है व राज्य सरकार के राजस्व में हानि हुई। अप्रार्थीयान के पास लाईसेन्स व परमिट बाबत कोई कागजात नहीं होना बताया। जब्तशुदा वाहन मय डीजल एक ही व्यक्ति का है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के इतनी मात्रा में डीजल तेल रखना व परिवहन करना दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीयान ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के वाहन महेन्द्रा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे 49 जीए 5279 को मय वाहन में लद्दे हुये डीजल 2650 लीटर पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन द्वारा जब्त किया गया है। उक्त डीजल प्रार्थी व प्रार्थी के चार अन्य पड़ोसी जो खेती-बाड़ी का काम करते है द्वारा एक साथ एक ही पेट्रॉल पम्प से कय किया गया है उक्त वाहन में ट्रैक्टरों के उपयोग के लिए लाया जा रहा था। वर्तमान में आगामी फसल बिजाई का समय है, फसलों में तेल द्वारा संचालित इंजन द्वारा फसलों में पानी लगाये जाने बाबत इस कारण प्रार्थीगण उक्त जब्त शुदा डीजल को सुपुर्दगी पर प्राप्त करना चाहते हैं। पुलिस को अब उक्त जब्त शुदा डीजल की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस द्वारा उक्त डीजल बिना किसी सार सम्भाल के कड़ी धूप में रखे जाने कारण उक्त डीजल सफेद पड़कर खराब हो सकता है व निरन्तर निगरानी में ना होने के कारण चोरी होने की भी आंशका है। प्रार्थी उक्त डीजल के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो की पालना करने के लिए तैयार है। अतः अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त महेन्द्रा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे. 49 जीए 5279 में लद्दे हुये ड्रमो व जरीकन में 2550 लीटर डीजल को प्रर्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश फरमाया जावे। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये-

1. Jangir Singh & Ors. Vs. State of Rajasthan, (2014) 2 Cr.L.R. 942
2. Karamjeet singh Vrs. State of Rajasthan 2016(1) Cr.L.R. (Raj.) 506
3. Arvind Swami & Anr. Vrs. State of rajasthan 2017(4) Cr.L.R.(Raj.) 1860

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:-

1. राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन द्वारा अप्रार्थी मुकेश से 11 ड्रमों में प्रत्येक में 210 लीटर डीजल व 4 जरिकनों में जिनमें प्रत्येक में 60 लीटर डीजल भरा हुआ जब्त किया गया है। इस प्रकार 11 ड्रमों व 4 जरिकनों में कुल 2550 लीटर डीजल भरा जब्त किया गया।
2. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में जब्तशुदा डीजल अप्रार्थी व अप्रार्थी के चार कृषक साथी अपने अपने कृषि कार्य हेतु पंजाब से एक साथ लेकर आना बताया है। सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में पांचों अप्रार्थीयान द्वारा उक्त दिनांक के जब्तशुदा डीजल के बिल प्रस्तुत किये गये है। अप्रार्थीयान के पेशे के बारे में कोई दस्तावेज संलग्न पत्रावली किये गये, जिससे यह साबित हो कि डीजल गैर कृषि कार्य का ब्लैक/अवैध में बेचान के लिये था। स्टेट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं नहीं बताया गया है, इसलिए कार्यवाही वैधानिक नहीं है।
3. वर्तमान प्रकरण पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध परिवहन एवं संग्रहण से सम्बन्धित है। पेट्रोलियम पदार्थो के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश अधिभावी होगें। ऐसी दशा में जहां कि केन्द्र

अपर जिला मजिस्ट्रेट

सरकार के आदेश 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर तक किसी व्यक्ति को एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य यही है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में 2500 लीटर पेट्रोलियग पदार्थ अपने कब्जे में रख अथवा खरीद सकता है। जहां पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के किसी आदेश का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है। वहां ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें।

4. इस सम्बध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जंगीर सिंह बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2014 में स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है "Carrying goods in a vehicle cannot per se be 'storing' although it may be quite possible that a vehicle is used as a store. Transporting is not storing. Section 3(2)(d) of the Act extracted earlier in the judgment uses the expressions storage and 'transport' as two Separate acts which could be regulated by licences, permits or otherwise"

उक्त विवेचना के आधार पर केन्द्र सरकार की अधिसूचना 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद कोई भी व्यक्ति रख सकता है। अप्रार्थीयान मुकेश कुमार पुत्र साज्जनराम, विरेन्द्र पुत्र साहबराम, राजेन्द्र पुत्र अमीलाल, साजनराम पुत्र भागीरथ, कृष्णलाल पुत्र नन्दराम को 2550 लीटर डीजल रखने का अधिकार था । अप्रार्थीयान को 2550 लीटर डीजल रखने के लिये किसी लाईसेन्स / परमिट की आवश्यकता नहीं थी । उक्त पैट्रोलियम पदार्थ अप्रार्थी के द्वारा किसी को विक्रय किया जा रहा हो अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई अपराध किया जा रहा हो ऐसा रिकॉर्ड से प्रकट नहीं होता है। दस्तावेज/साक्ष्य के अभाव में स्टेट द्वारा प्रस्तुत 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्शन द्वारा उक्त जब्तशुदा 11 ड्रमों में प्रत्येक में 210 लीटर डीजल व 4 जरिकनों जिनमें प्रत्येक में 60 लीटर डीजल, इस प्रकार 11 ड्रमों व 4 जरिकनों में कुल 2550 लीटर डीजल जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा 11 ड्रमों में प्रत्येक में 210 लीटर डीजल व 4 जरिकनों जिनमें प्रत्येक में 60 लीटर डीजल, इस प्रकार 11 ड्रमों व 4 जरिकनों में कुल 2550 लीटर डीजल अप्रार्थीयान को सौंप दिया जाये तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 17.04.2023 द्वारा जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप गाडी नं० RJ-49-GA-5279 सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर अप्रार्थी को दिया जा चुका है, को केवल इस न्यायालय में दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप गाडी नं० RJ-49-GA-5279 को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्शन एवं जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ
हनुमानगढ़